Action on Letters to the Editor by Information Officers attached to Ministries

10056. SHRI RAJE VISHVESHWAR RAO: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Information Officers attached to Ministries are duty bound to read letters of Editors published in newspapers containing grievances against government office and send them to concerned Secretaries for necessary action;

(b) whether the Secretaries are duty bound to send proper replies to the aggrieved persons; and

(c) the details guidelines, if any laid down for the same?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI): (a) to (c). As a part of its feed-back service, the Press Information Bureau prepares Press reviews which take into account relevant contents of the 'Letters to the Editor' columns also. The purpose is to keep abreast of emerging trends of opinion but not to prepare a catalogue of individual grievances. The reviews are seen by officials of the Ministries concerned and, where necessary, corrective action is taken. These are no special guidelines on the subject but it is one of the functions of Press Information Bureau officers to prepare Press reviews and to study them carefully.

मंत्रालय में पेट्रोल पर होने वाले व्यय में कमी

10057. **श्री अनन्त राम जायसवाल :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों के मंत्रालयों/विभागों और सरकारी उपक्रमों के स्वामित्व में लगभग 80 प्रतिशत कारें हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने पेट्रोल पर होने वाले व्यय पर नियंत्रण करने अथवा उसमें कमी करने के लिए वर्ष 1978–79 के दौरान कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार पेट्रोल पर होने वाले व्यय में वृद्धि को ध्यान में रखते हुये अध्यादेश जारी करके अथवा विधेयक लाकर पेट्रोल पर होने वाले व्यय की सीमा निर्धारित करेगी ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) निजी रूप से रखी गई कारों (मोटर गाड़ियों) की तुलना में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के मंत्रालय/विभाग तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों द्वारा रखी गई गाडियों की सही सही प्रतिशतता के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है क्यों कि इस प्रकार के आंकड़े रखे नहीं जाते।

(ख) सरकार का यह इरादा है कि पेट्रोल की खपत में समस्त रूप से कमी की जाये। मार्च, 1979 में केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों/केन्द्र प्रशासित प्रदेशों का ध्यान पेट्रोल की खपत में तीव्र वृद्धि की ओर आकृष्ट किया था और उनसे अनुरोध किया गया है कि उनके नियंत्रण में आने वाले विभागों, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में 1978–79 की खपत की तुलना में 1979–80 के दौरान पेट्रोल की खपत में 15 प्रतिशत की बचत करें।

(ग) उपर्युक्त (ख) में जो कुछ कहा गया है उसके अतिरिक्त पेट्रोल की खपत में बचत मुख्यतः जनता के सहयोग द्वारा ही की जा सकती है। अतः एक अध्यादेश जारी करके या एक विधेयक लाकर पेट्रोल पर व्यय के लिए एक सीमा निश्चित करना आवश्यक नहीं समझा जाता।

आपातकाल के दौरान सेवा से निकाले गए कर्मचारी

10058. **श्री लहानू शिवबा कोम :** क्या उप-प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपातकाल के दौरान देश में